

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी - फरीदाबाद

आदेश क्रमांक : ले - 1 / 99 / 1205-06

दिनांक : 17-06-99

संस्कृति कॉन्वेंट स्कूल, मंदावली, बल्लोवा रोड, फरीदाबाद को पहली से पाँचवी तक शिक्षा कोठे में निर्दिष्ट शीटों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विभाग तक तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तों पर तयार्ह मान्यता प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और सरकार से किसी पद या ग्रांट की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय विभाग / सरकार / बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी की गई विद्यालयी एवं शर्तों तथा सजुमेन कोर्ड की धारा 214 के तहत सभी विनियमों एवं शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
3. विद्यालय स्टाफ का केवल समय-समय पर संशोधन होने पर नियम अनुसार संशोधन राशि जिला प्राथमिक शिक्षा, अधिखरी, फरीदाबाद के नाम से उ: मात के केन के बराबर राशि फ प्रेषण करवाने को बाध्य होगा।
4. भावी नियुक्तियाँ / विभाग / द्वारा जारी नियमनुसार की जाये।
5. स्टाफ की जी पी-एफ / सी पी-एफ सरकार के नियमानुसार पाहू किया जाये।
6. पन्डों के प्रेषण नियम अनुसार इस कार्यालय में भेजे जाये।
7. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिखरी विद्यालय रिजार्ड एवं शैक्षिक कार्य को किसी भी समय चेक कर सका है।
8. अनुभवी-अध्यक्षक लगाये जाये।

sd-

(साजिदाका)

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद {हरियाणा}

पूरा क्रमांक : सम :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचारु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निर्देशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा फरीदाबाद
2. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद/बल्लोवा
3. सम्बन्धित विद्यालय का मुख्या
4. अनुभाग अधिकारी स्थानीय

Managing Director
Sanskriti Convent School

Distt. Primary Edu Officer
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
Sanskriti Convent School
Mandhawali, Tigaon
FARIDABAD

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-1/01/1405-09

दिनांक 31.3.2001

विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

संस्कृति कान्वेंट स्कूल मन्हावली फरीदाबाद

1-4-2000 से छठी से आठवी कक्षा [मिडिल विभाग] तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्चों पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के उ: पास के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लज्ड करायेगे । यदि राशि प्लज्ड ना कराई तो मान्यता रद्द की जायेगी ।
4. पेंशन का भुगतान के बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी० पी० स्फ० की राशि स्थानिय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 214-219 के अंतर्गत सभी एजुकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सी० डब्ल्यू० स्फ० रेडक्रास तथा स्पोर्ट्स फंड की राशि का प्रेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चेक कर सकता है ।
9. एजुकेशन कोड की धारा 159 के अंतर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार ~~स्वीकृत~~ करना होगा

(साजवाकी)
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।

पृष्ठ क्रमांक : सम

दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

उपमंडल शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद/पत्तवल ।

सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।

बी० एस० ई० भिवानी ।

Managing Director
Sanskriti Convent School

Principal
Sanskriti Convent School
VIII - Mandhawali, Tigaon
FARIDABAD

District Education Officer
जिला शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद